cedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Lighthouse (Amendment) Bill, 1985, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 26th August, 1985."

Madam, I lay a copy of the Lighthouse (Amendment) Bill, 1985, on the Table.

THE VICE CHAIRMAN(SHRIMATI KANAK MUKHERJEE) : Now, we shall continue the discussion on the Railway Protection Force (Amendment) Bill, 1985. Mr. Thakur Jagatpal Singh

---

THE RAILWAY PROTECTION FORCE (AMENDMENT) BILL, 1985—CONTD.

ठाकुर जगतपाल सिंह (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। वह जो बिल लाए है वह बहुत ही अच्छा बिल है क्योंकि आज आप देखते हैं कि रेलवे में ज्यादा से ज्यादा चोरियां और क्राइम्स हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए यह जरूरी था कि इस तरह का बिल आता जिसमें ज्यादा अधिकार दिये जाते।

मैं इस संबंध में एक शेर से शुरू करना चाहता हूं कि —

"कश्तियां डूब जातीं हैं उनकी,

जिनकी पतवारों में कमी पाई जाए"।

आज मल्लाह कितना भी अच्छा हो, किश्ती कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसकी अगर पतवारें कमजोर होती है, तो वह किश्तियां डूब जाती हैं।

आज जो बिल आया है, उस बिल के माध्यम से उन्हें जो अधिकार दिए जा रहे हैं अधिकारियों के लिए वह बहुत जरूरी थीं। मैं अभी सुन रहा था, हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा कि उन्होंने ट्रेड युनियन के अंदर बैन क्यों कर दिया है?

मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब जब फोर्स के बारे में यह बातें कही जाती हैं, तो उस वक्त हमेशा यह बात उठाई जाती है, क्या कारण है उसका? जरा सोचिए इस गहरे सवाल को कि अगर उन्हें ट्रेड यूनियन के राइट्स दिये जाते हैं, तो अगर हमारा बल उसमें फंस कर आज यूनियन का ज्यादा तनाव देखते हैं, एक हथियार बनाया हुआ है इम्पलायर हो, इम्पलाइयीज हो—केवल इम्पलायर को मारने के लिए ट्रेड यूनियन का काम होता है, इम्पलायर और इम्पलायीज दोनों का समन्वय कर दोनों के वैलफेयर को देखें। लेकिन आज आप दूसरी जगह भी देखते हैं कि कितनी कठिनाइयां आ रही हैं, आज किस तरह से हमारा प्रोडक्शन गिराने के लिए कुछ वह ताकतें जो दुनिया के अंदर नहीं चाहतीं कि हिन्दुस्तान आगे जाए, उसका प्रोडक्शन बढ़े अलग-अलग तरीकों से कुछ ट्रेड यूनियनों के माध्यम से स्ट्राइक करके उस प्रोडक्शन को गिराना चाहती हैं।

इसी तरह ला एण्ड आर्डर को मेनटेन करने के लिए अगर वह पावर्ज दी जाती है, तो उसमें बुराई क्या है? उनके और दूसरे माध्यम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव माध्यम हैं, उनसे अपनी सहुलियतें ले सकते हैं लेकिन मैं एक बात आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज रेलवे में जो जी० आर० पी० है उसे भी आप इसके कण्ट्रोल में लें क्योंकि जी०आर० पी० जैसे मेरे एक साथी ने कहा था कि जितने भी लोग उसमें भेजे जाते हैं, वह ऐसे लोग भेजे जाते हैं जोकि लोकल पुलिस में या तो कन्डैम कर दिये जाते हैं, या किन्हीं कारणों से उन्हें वहां रखना नहीं चाहते। तो अगर उसको अकन्ट्रोल में आप लेंगे तो आज सब से बड़ा झगड़ा जो जी० आर० पी० में और प्रोटेक्शन फोर्स में चल रहा है, आप देखें लाखों-करोड़ों की चोरियां वैगंस में हो रही हैं माल-गोदाम के अंदर, चोरियां हो रहे हैं, पार्सल तोड़ दिये जाते है और माल का बंटवारा हो जाता है।

तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप उस तरफ जरूर ध्यान दें।

[ठाकुर जगतपाल सिंह]

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो आपका रेक्रूटमेंट हों वह रेलवे कमीशन के माध्यम से नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ज्यादातर आप ऐसे लोगों को लें कि जो या तो मिलिटरी से कम एज में अलग कर दिए गये हों, बी० एस० एफ० के हों, आर० एस० एफ० के हों या सी० आई० एस० एफ० के हों, जो रिटायर हो जाते हैं क्योंकि उनको अगर आप लेंगे तो उनमें वह कमियां कम हो जाएंगी जो कमियां आज देखने में आती हैं।

दूसरे उनको फेसिलिटी देना आपको बहुत जरूरी है। आज आपके पास कितने क्वार्टर हैं? आप क्यों नहीं और बढ़ाना चाहते। आज उनके लिए अकामोडेशन नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं हैं, अस्पताल नहीं है। तो यह चीजें सब से पहले करनी होंगी और हजारों लोगों की कमी जो आज रेलवे प्रोटक्शन फोर्स में है उसे आप पूरा करें।

मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहता हूं। आज रेलवे में पेसेंजर के मालों की चोरी हो रही है, रेलवे प्रापर्टी का बहुत सा दुरुपयोग भी हो रहा है और चोरियां भी हो रही हैं, पार्सल आफिसेज के अन्दर करोड़ों का माल चोरी जाता है या बंटवारा इस तरीके से किया जाता है। वैगंस यार्ड में खड़ी होती है, माल चुराया जाता है। अगर एस०आर०पी० वाले उनको रोकते है तो जी०आर०पी० वालों में और उनमें कनफ्लिक्ट होता है। इसलिए यह सब फोर्स एक कमाण्ड में आना चाहिए। मेरी एक राय आपके लिए यह है।

दूसरी, रेलवे में जो चोरियां होती है, अगर वहां चोरी होती हैं और जो कण्डक्टर है या जो भी अटैण्डेंट है उससे अगर कहा जाता है तो वह कहता है कि साहब, चार गेट हैं, मैं एक तरफ बैठता हूं दूसरी तरफ से सामान निकल जाता है।

मेरा सुझाव है कि रात को तीन तरफ के गेट्स में ताला लग जाना चाहिए, केवल जहां अटेंडेंट बैठता है, वह गेट खुला रहना चाहिए।

तीसरे, जितने बैरे या जितने इलैक्ट्रिशंस या दूसरे इम्पलायीज है, उनके नाम और उनका नम्बर उन पर लिखा रहना चाहिए क्योंकि ज्यादातर जो चोरियां होती हैं, मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बगैर रेलवे इम्पलायीज के और बगैर रेलवे के लोगों के मिले हुए नहीं होती हैं।

चौथे, मैं अपना सुझाव दूंगा कि जब रेलवे में कहीं पर भी चेन खिचती हो तो क्या कारण है कि प्रोटैक्शन फोर्स के आदमी बाहर नहीं आते? उनसे मैंने पूछा —क्योंकि थोड़ी लाईट की वजह से उन्हें बाहर दिखाई नहीं देता, तो जब गाड़ी की चेन खिच जाए तो गार्ड और इंजिन के दोनों तरफ एक-एक सर्चलाईट होनी चाहिए जो इमिजेटली सर्चलाईट खोल देनी चाहिए। जिससे कि वे लोग देख सकें कि कौन भाग रहा है और कौन क्या कर रहा है। क्योंकि अंधेरा होने के कारण वे कुछ करना भी चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि गार्ड के दोनों साइड में एक-एक सर्चलाइट हो और इंजन ड्राईवर के दोनों तरफ भी सर्चलाईट हो। जब गाड़ी में चेन खींची जाए या फिर वह गाड़ी खड़ी हो तो उसी वक्त वह लाइट खोल देनी चाहिए। दूसरा जितने अधिकारी हैं उनको आप देखें कि वे कभी सरप्राइज विजिट करते है या नहीं। कभी उन्होंने वहां जाकर सब कुछ चैक किया है या नहीं आप कम से कम कुछ परसेंटेज फिक्स कीजिए कि इतनी सरप्राइज विजिट हों और वे गाड़ियों के अन्दर देखें कि वहां पर लाइट ठीक है या नहीं और लाक ठीक हैं या नहीं? चोरियों का सब से बड़ा कारण यही है। और वहां जो बैरे घूमते है वे भी चोरियां करते हैं। इस पर भी आप ध्यान दें।

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि आप कृपा करके इतना जरूर ध्यान रखें कि अगर हमारे कर्मचारी जो वहां काम करते हैं अगर उनको प्रोपर फैसिलिटीज दी जाएं तो वे ज्यादा ईमानदारी से काम कर सकेंगे। जो लोग अच्छा काम करें उनको आप रिवार्ड दीजिए। जो गलत काम करते है उनकी केवल ट्रांसफर ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करनी चाहिए। आप यह भी देखें कि कितनी चोरियां हुई हैं और कितने लोगों को निकाला गया, कितने लोगों को डिसमिस किया गया। हमारे दूसरे सदन की महिला सदस्य जब अभी गाड़ी मे जा रही थीं तो उनके कंपार्टमेंट के अन्दर से गेट खोल कर चोर घुस गए। जब उन्होंने आवाज दी तो एक भी सिपाही या कोई आदमी वहां पर नजदीक नहीं आया। मैं आपसे विनती करूंगा कि जो अटेंडेंट वहां पर गाड़ियों मे होते हैं वे वहां पर उपस्थित नहीं रहते है। आप जाइए और देखिए कि वह क्यों नहीं है। पूछते है कि क्यों नही है तो कहते हैं कि साहब, नहीं आया। क्या कभी चैक किया है कि फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में कितने अटेंडेंट है और वे आते हैं या नहीं आते हैं, अगर नहीं आते हैं। तो क्यों नही आते हैं अगर उनकी कमी है तो उन्हें बढ़ाना चाहिए। मैं आपसे केवल इतना कह देना चाहता हूं :

If the eyes and ears are corrupt, then they can be purchased by any agency.

तो काम सही नहीं होगा और आज हमारी आईज एंड ईयर्ज करप्ट हो चुकी हैं। केवल मुझे इतना ही कहना है। अंत में मैं बधाई देता हूं कि आप अच्छा बिल लाये हैं और इसमें फायदा होगा।

DR. SHANTI G. PATEL (Maharashtra) : Madam, Vice-Chairman, the Minister, while recommending the Bill for its consideration in this House in a very brief speech of a few words, commented that this is a "small Bill". How small it is we will see later. But one thing is certain and its tentacles are going far and wide and are engulfing a number of persons and properties.

Madam, let us see how small it is? This particular force, the Railway Protection Force, is operating throughout the country because the railway network engulfs the whole country. It has grown enormously in the last few years. It was 31000 in 1951-52 and it has grown to 70,000 by now. The expenditure which is incurred on this particular force for its maintenance has risen from Rs. 13 crores to about Rs. 50 crores. It means an increase of 3-1/2 times. I am referring to it with a view to pointing out how important it is. I was therefore, expecting the Minister to throw more light as to what this force has been doing, how it has been functioning and what has been its record during these years.

I am referring to the report of the Railway Reforms Committee, also called the Sarin Committee, which had a occasion to go into this problem. The report is a recent one, published in 1983. What has it to say about the security in the railways? I quote from Introduction, page 1 :

> "The security environment on the railways has been steadily deteriorating. The public and Parliament have naturally been concerned about the continuous increase in crime against the persons travelling by train and their property."

I am also referring to page (iii), paragraph 4 and I quote :

> "The role of the Railway Protection Force which has been created for the protection of railway's own property and the property entrusted to it for carriage and which lies at railway installations has not been performed to any satisfactory standard."

I further quote from page 149, paragraph 12 :

> "Despite a substantial growth of the Railway Protection Force, it is

[Dr. Shanti G. Patel]

difficult to say that it has achieved its aims. The force has been ineffective and its performance lukewarm and sometimes eve retrograde despite organisational changes of a far-reaching nature and its being vested with some increased powers over the years."

Again, the Minister has thought it proper to invest this Force with some more powers. I have nothing to argue against it. As a matter of fact, may I ask the Minister whether these powers are going to serve the desired objective because this Committee to which I made a reference earlier has gone into details and has made a number of recommendations. May I have the attention of the Minister, Madam Vice-Chairman ? I was inviting the attention of the Minister because it is a very important Committee which has gone into details and made certain recommendations. May I know from the Minister as to whether he had gone into these recommendations and which of the recommendations have been implemented so far because unless this matter, this subject is approached in a scientific manner and the real remedies are applied, we will always be hearing this complaint of thefts taking place and passengers being harassed while travelling by these trains. So, it is very necessary that this particular Report is implemented at the earliest.

This Force is required to have a Primary role of protecting the railway Property or whatever is carried by the railways in the form of goods and other things, And the secondary role that is assigned to it is of escorting or even helping in checking ticketless travel and further also to help when there is alarm chain pulling, etc. etc. Is this Force equipped to cope with these particular responsibilities ? May I tell you, with respect, that the powers which ought to be given are not given through this bill. A little earlier, my friend, Mr. Sukul, referred to the dichotomy in the control of the protective force which comprises not merely of the RPF but also what is called the GRP and also in certain cases the District Police. So, there is a broad control. There is no uniform controlling authority so that they can work for achieving the purpose. This is one basic reason, the root cause for non reduction in the rate of thefts or the thefts that are taking place on the trains or the alarm chain pullings or offences of this particulr type. One thing that is necessary and needs to be done immediately is to have a uniform control and supervision over this particular Force. The second thing that needs to be done is that one has to assess the manpower requirements and also give them proper training. Are they properly trained ? The Minister had nothing to say except to say that this is a "small Bill." Is the Force going to deliver the goods by just calling it Armed Force or vesting it with certain more powers ? For example, now the power to arrest a person just on suspicion—mind you, just on suspicion has been given, I am afraid this power is going to be more misused than used for the purpose for which it is sought to be given. One has to be very careful in giving this power because on the platform there are a number of people moving bout apart from the yard. And there, if a person has just to be arrested on a suspicion, a number of complications and corrupt practices are going to follow.

Again, a reference has to be made to what is necesssary. Short of control, there has to be a proper co-ordination between the Railway Protection Force and the other Forces like the GRP and the District Police because once a theft is committed, immediately the persons concerned have to be contacted, and they are the persons who belong to the concerned State police force.

This co-ordination does not take place. Even it the Railway protection force cares to bring this to the notice of the authorities concerned, proper steps are not taken. If they are taken, they are not taken in

time. As a result the goods that have been thieved cannot be traced and the culprits can run away and can never be booked. This is the main difficulty which is there. This force, i.e., the Railway Protection Force, needs to be given the powers of what is called the powers of investigation, at least preliminary investigation, so that the persons, the culprits can be easily traced and can be handled properly and the details or detailed investigation can follow later on. This is something very necessary if the prurpose is to be served. Otherwise a number of amedments like this can be carreid out and they will not serve the purpose of reducing the quantum of thefts on the Indian railways.

Similarly, what is necessary is the improvement in the intelligence wing of this Force. May I know from the Minister as to how he is going to bring this about that is, improvements in the present intelligence system ? There are known culprits, there are known gangs, which have been operating hand in glove, I am very sorry to say this, but I say it with all sense of reponsibility, with the persons employed in the RPF. This is not something which I am saying. The Sarin Committee itself has said that these people are involved in thefts which are occurring on the railways. May I know what steps are going to be taken to improve the intelligence wing of the RPF so that persons of proper calibre are recruited and they operate properly so that these culprits are identified traced and brought to book and such thefts are detected ? So what needs to be reorganised and set on the right fooing is the intelligence system also. Antoher thing that is necessary is to see as to how many thefts took place and in which etc. etc. way. That is to say that some statistical record needs to be kept so that we know in what direction we are progressing and what steps can be taken to curb such thefts. For the purpose of arriving at proper conclusions, we should have proper statistical record.

In this connection, Madam, I would like to say that I have myself been a victim of this particular harassment, or of theft. I was travelling from Bombay to Delhi by a second class sleeper coach. I just winked or went to sleep only for half an hour between Surat and Broach and two suitcases of mine were missing. I wanted to complain about it. The conducter will say, it is no use, why do you want to complain ? This is what happens every day. Not merely here but also in the Ratlam area. But I insisted that no, whatever may be the consequences, I would like to exercise my right of complaint, He said, it will take a lot of time. It was dead of night. But I insisted. Some people came and it took one hour for me, at least for them, to take down my complaint. Nothing has happened thereafter. I have not received any acknowledgement. No communications. And, mind you, Madam, this is what happened during the Emergency, about which a lot is being said and talked in favour in certain quarters. I do not know what is happening now! Butworst things have been happening now according to the persons who have been travelling by these trains. This is something which is common occurrence on these trains.

I hope the two Ministers who are supposed to be dynamic persons would look into these problems and go into the complaints of the persons, the ordinary person who are travelling by second class and other classes.

With these words, Madam, I would suggest that let the right remidies be applied and not just the powers of being armed and with powers of arresting persons on suspicion etc. I hope the Minister will certainly enlighten this House regarding this Committee's Report and what steps have been taken by his Ministry.

SHRI THINDIVANAM K. RAMAMURTHY (Nominated : Madam Vice-Chairman this is a long-awaited Bill and a much-needed Bill also. The RPF needs more powers. It has been the subject of a lot of criticism. Though in appearance it looks to be a police force, but it has neither the powers of police, nor the strength of an official protection force. Nobody takes the RPF seriously. Lethargy and ineffectiveness has made them gradually align with the culprits. They have become the source of encouragement for those people who are committing offences.

Madam Vice-Chairman, clause 11 of the Bill gives additional powers to the RPF. This has made it really an effective railway police force. Generally, the railway station premises are used as the hideouts by the criminals Whether the criminals are committing crimes on the railway stations or outside they are using the railway station premises as their hideouts. Some of the railway stations have an extent of three or four or even ten acres of land. around them. These lands have become habitable places for the gangs who indulge in criminal activities and also who commit thefts. They get down from the moving trains. This happens in the passenger and express trains and sometimes in the goods trains also. These gangsters get down from the moving trains, mix up with the persons. residing in these hideouts around the railway stations and then get out of the railway station premises conveniently. Stolen goods are kept in these places. Lepers and persons suffering from contagious diseases are using these places for the purpose of habitation. The result is that the police is unable to reach those places. The criminals are, therefore, safely using these hideouts for keeping the articles of theft and other railway property. There are other peculiar types of offences as far as railway goods movement is concerned. The coal that is transported never reacher its destination in the same weight and quantity. Cement is the other example. It never reaches the consignees in the same weight or in the same number of bags. Enormous theft of essential articles are taking place. Nobody is in a position to keep a check on these things. In our State, there is another peculiar type of offence. Right on the side of the railway lines people are able to fix pipes, connecting them to the railway wagons carrying petrol, kerosene and diesel. These pipes are laid underground and extended to a house or a cottage or to some place at a distance from where they are able to pipe out the petrol, kerosene or diesel. The loss is to the extent of crores of rupees. If such things are to be detected, the RPF has to be made effective. This Bill, I am sure makes a headway towards eliminating all these offences.

Here once again comes the question ot jurisdiction. Apart from the GRP taking action the jurisdiction of the RPF has not been well defined in this Bill. Suppose, the offence takes place within the premises of the railways, then, it is all right, the R.P.F., can act, but if the offence takes place outside the railway premises, how is the RPF to handle such an offence ? How will they handle such crimes ? Madam, this Bill gives powers to the RPF to arrest and detain persons, In this connection, I would suggest that there is need for increasing the number of persons in R.P.F. Because, once you arrest a person, you need security, you need escort and there is also the problem of handing over the arrested persons within 24 hours. All these things come in. This should be looked into and provision should be made for this purpose.

Then, Madam, the powers given to the RPF can be effectively enforced only if there is co-ordination between the GRP and the RPF. Mostly when cases are referred to the GRP, there is no response at all from them. This is the way in which the GRP is functioning. Unless there is effective co-ordination between the RPF and GRP, there is no use of giving

more powers to the RPF. RPF can not be effective. Once again, it will reflect on the functioning of the R.P.F. Steps should be taken to bring about co-ordination between these two forces *viz*. the R.P.F and the G.R.P.

Another thing is, most of the railway courts in some States go without magistrates. When the offences are reported the GRP and ultimately, when the cases are taken to the magistrates, the magistrates are not available and it poses a big problem both for the passengers and the persons involved. This is a reflection more on the railways than on the State Governments which do not nominate magistrates or make the magistrates function. Therefore, steps should be taken by the railways to see to it that the posts of magistrates do not fall vacant. I have seen cases where for months and years together, the posts of Railway Magistrates are vacant in Tamil Nadu.

Madam, I would suggest that the RPF should be empowered to deal with the offences against the articles of passengers also. Now, the RPF is empowered to deal with only the railway property. Then, as my friend, Mr. Mohanarangam said, RPF should be put in-charge of looking after the railway premises also. There is a large extent of railway premises and railway land which are used and misused by the encroachers both for the purpose of criminal offences and, at times, for their own personal benefits. These activities should be curbed and for curbing these, I think, RPF has been empowered with reasonable powers and these powers can be effectively enforced only if the GRP is made to co-ordinate with the RPF. Only then, better results can be achieved. Thank you.

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, रेल संरक्षण बल संशोधन विधेयक 1985 विचार के लिए सदन में आया हुआ है। मैं इस बिल का, खंड 13 को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, उसके कारण विरोध करता हूं।

महोदया, बिल में कहा गया है कि रेल सम्पत्ति के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल का गठन और विनियमन करने के लिए सरकार इस बिल को सदन में लाई है। मुझे शक है कि यह बिल इन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदया, रेल सुरक्षा बल की तरफ जो जवाबदारियां है उनमें मुख्य रूप से माल गाड़ियों के माल की सुरक्षा, यात्रियों के आवागमन की सुरक्षा, बिना टिकट चलने वाले यात्रियों को रेल में यात्रा करने से रोकना, रेल में चोरी और डकैती तथा पार्सल की चोरी को रोकना आदि मुख्य रूप में ये सब रेल सुरक्षा बल का काम है। पिछला अनुभव यह बताता है कि रेल सुरक्षा बल इस काम को करने में असफल रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो रेल सुरक्षा बल की संख्या कम है या रेल सुरक्षा बल के जो लोग है उन्हीं के कारण ऐसा होता हो। लेकिन पिछले चार साल की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर यह बात कही जा सकती है कि सुरक्षा बल के रहते हुए भी बहुत बड़ा नुकसान रेल विभाग को हुआ है। 1980 से 1984 के बीच में 400 करोड़ रुपये की चोरी रेलों में हुई है। एक लाख 30 हजार मामले रजिस्टर्ड हुए है और इसमें से कुल मिलाकर 26 हजार गिरफ्तारी हुई हैं 400 करोड़ के चोरी के माल में से 166 करोड़ का माल रिकवर हुआ है। यह स्थिति है पिछले चार वर्ष की रेल सुरक्षा बल के होते हुए भी। इससे यह बात साफ जाहिर है कि यात्रियों के जान-माल की रक्षा या माल की रक्षा या रेलवे के अन्दर से जो चोरी होती हैं उनकी रक्षा करने में रेलवे सुरक्षा बल पूरी तरह से असफल रहा है। रेल में यात्री रोज यात्रा करते है वे जानते है कि रेल की यात्रा कितनी कष्टप्रद है, जो रिजर्वेशन करके चलते हैं उनको जगह नहीं मिलती। उनकी जगह अनधिकृत, बिना टिकट यात्री, यात्रा करते हैं। इन बिना टिकट यात्रियों की संख्या भी कम नहीं है। बहुत बड़ी

[श्री प्यारेलाल खंडेलवाल]

संख्या में रेल गाड़ियों में बिना टिकट के लोग यात्रा करते हैं। बिना टिकट यात्रा अपने आप नहीं कर सकते। उनको कहीं न कहीं से संरक्षण प्राप्त है। या तो वह रेल कर्मचारी कराते है या सुरक्षा विभाग के कर्मचारी कराते है। इतनी बड़ी मात्रा मे बिना टिकट यात्रा की जाती है जिसके परिणामस्वरूप रेल विभाग को बड़ा भारी नुकसान, आर्थिक नुकसान होता है। ऐसी स्थिति मे यह जो बिल लाया गया है यह यात्रियों की सुरक्षा, यात्रियों के सामान की सुरक्षा, उनके जीवन की सुरक्षा कितनी कर पायेंगे यह समझ में नही आता। इस बिल के खंड 13 में यह कहा गया है कि रेलवे के सुरक्षा बल को सब प्रकार के संगठन बनाने पर रोक लगा दी गई है। यह बात सही है कि सुरक्षा बल मे अनुशासन चाहिए, चुस्ती चाहिए। यात्रियों के जान माल की सुरक्षा उनका प्रथम ध्येय है, दायित्व है। यह कर्तव्य उनको पूरा करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नही हो सकती। मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कानून बना कर आप रेल सुरक्षा बल को इस तरह के अनुशासन में ढाल सकते हैं? मुझे लगता है यह सम्भव नहीं होगा। कानून तो पहले भी थे। रेल सुरक्षा बल के लिये कई प्रकार के कानून बने थे। लेकिन इन कानूनों से काम पूरा नहीं होगा जब तक कि सुरक्षा बल में, सुरक्षा विभाग में यह विश्वास पैदा नही होता कि उनकी दिक्कतों को, उनकी कठिनाइयों का रेल विभाग, पूरी तरह से सुनने और समझने के लिए तैयार है। उनकी अपनी कठिनाइयां हैं। रेल विभाग मे काम करने वाले सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन, उनको अन्य प्रकार की सुविधाएं, उनकी सेवा शर्तें, इन सारी बातों पर सरकार को गौर करना चाहिए। आप उनको प्रजातांत्रिक अधिकारों से वंचित करते जा रहे हैं। वे न एसोसिएशन बना सकेंगे और न ट्रेड यूनियन्स। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उनको ऐसा कोई अधिकार तो दीजिए जिसके कारण वे अपनी मांगें, सामूहिक मांगें सरकार के सामने रख सकें। लेकिन सरकार ने अधिकारों को छीन लिया है, इस नाम पर कि वह एक तरह से सैनिक बल है। इस प्रकार का बल मान कर उनके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। यह उनके प्रजातांत्रिक अधिकार का हनन होगा और सरकार को इस धारा पर पुनर्विचार करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, कि नित्यप्रति चलने वाली गाड़ियों की हालत बहुत खराब है। उसमे भी पंखे चोरी हो जाते हैं, बिजली का सामान चोरी हो जाता है, नल चोरी हो जाते है सीटों पर लगने वाले कवर चोरी हो जाते हैं। इन सारी बातों के अलावा यात्रियों के सामान की भी चोरी होती है इसमे रेल कर्मचारियों, सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों का हाथ रहता है।

कुछ समय पहले भोपाल स्टेशन पर एक संसद-सदस्य के सामान की चोरी हुई थी। वे जब अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए गए तो गाड़ी चली गई। सदस्य वहीं के वहीं रह गए। घंटे, दो घंटे का टाइम रिपोर्ट में लग गया। ऐसी स्थिति में मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या सरकार यह व्यवस्था नही बना सकती है कि अगर रेल यात्रियों का सामान चोरी हो जाय तो स्टेशन पर उतर कर पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के बजाय यह व्यवस्था कर दी जाय कि रेल के डिब्बे के अन्दर ही किसी सक्षम अधिकारी को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह इस प्रकार की रिपोर्ट लिख सके? अभी स्थिति यह है कि अगर सामान चोरी हो जाता है तो यात्रियों को स्टेशन पर उतर कर पुलिस स्टेशन में जा कर रिपोर्ट लिखानी होती है। इस बीच में गाड़ी चली जाती है क्योंकि गाड़ी को रोका नहीं जा सकता है, टिकट भी खराब हो जाता है, पैसा भी खर्च हो गया है और रिपोर्ट लिखाने में घंटे, डेढ़ घंटे का वक्त भी लग जाता है। इस कारण से यात्रियों को कितनी तकलीफ होती है इसका अन्दाजा रेल मंत्री जी लगा सकते है।

इसके अलावा मैं जी० आर० पी० और रेलवे रिजर्व फोर्स के बारे में भी कहना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच

में कोई केन्द्रीय नियंत्रण होना चाहिए। अभी होता यह है कि जी० आर० पी० प्रान्तों से मांगी जाती है। प्रान्तों के अन्दर यह स्थिति है कि जी० आर० पी० में उस पुलिस कर्मचारी को भेजा जाता है जिसकी आवश्यकता प्रान्तों में नहीं होती है और उसको सजा के तौर पर जी० आर० पी० में भेजा जाता है। अगर पुलिस कर्मचारियों में इस प्रकार की भावना प्रचलित होगी तो वे किस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं? उनको अपने कर्तव्य के प्रति जितना चुस्त और सजग रहना चाहिए उतना वे नहीं रहते हैं। परिणामस्वरूप उनको इस बात की चिन्ता नहीं होती है कि यात्रियों का माल चोरी न हो। मैंने इस संबंध में माननीय रेल मंत्री जी को पत्र भी लिखा था। एक चाय बगान के अधिकारी का माल चोरी हो गया था। उसकी जानकारी मुझे हुई तो मैंने रेल मंत्री जी को लिखा। मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उस अधिकारी का कुछ सामान मिल गया। लेकिन इसमें 7–8 महीने का टाइम लग गया। पार्सल के डिब्बों में जो चोरी होती है उसमें भी 7–8 महिने लग जाते है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें यात्रियों को कठिनाई न हो। आज हम 21वीं सदी की बात करते हैं। आज हालत यह है कि यात्री डिब्बे में बैठा रहता है, गाड़ी रुकी रहती है, उसको पता नहीं होता कि गाड़ी क्यों रुकी हुई है। घंटों तक उसको डिब्बे में रहना पड़ता है। कई बार यह स्थिति होती है कि गाड़ी जंगल में खड़ी है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। सूचना देने वाला कोई नहीं होता है कि किस कारण से गाड़ी रुकी हुई है। अगर सौ किलोमीटर पर या किसी निश्चित रेंज के वायरलेश सेट लगा दिये जायें और वे यह बता सकें कि गाड़ी किस कारण से रुकी हुई है तो इससे यात्रियों को सुविधा होगी। कहीं पर माल गाड़ी खड़ी हो सकती है। कहीं पर कोई अन्य कारण भी हो सकता है। इन सब बातों को यात्रियों को सूचना दी जानी चाहिए। आप इसका डिब्बों में एनाउन्स कर सकते हैं, लाउडस्पीकर से एनाउन्स कर सकते हैं। यात्री गाड़ियों में स्पीकर लगाये जा सकते हैं।

रेलों में जो अपराध होते है उनमें कई प्रभावशाली लोग भी होते हैं। आजकल स्थिति यह है कि रेलों में चोरी करना एक प्रकार का उद्योग बन गया है।

3-00 P.M.

चोरी कोयले की हो या चोरी यात्रियों के सामान की हो लेकिन आज हालत यह है कि जो रेलवे में चोरी कराता है वह बड़ा प्रभावशाली और बड़ा लखपति तथा करोड़पति बना हुआ है। आप किसी भी बड़े जंक्शन पर चले जाइये, रेलवे स्टेशन के आसपास ये लोग रहते हैं, वहां झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रहते हैं। मुझे पता है कि भोपाल स्टेशन के पास जब वहां एक कलेक्टर आये उन्होंने उनको वहां से हटा दिया और उनकी झुग्गी-झोपड़ियां तोड़ दी। लेकिन वे फिर वहां आकर बस गये हैं। ऐसे जो लोग हैं इनका मुख्य काम है रेलों में चोरी करना और करवाना, जेब काटना और कटवाना और इसमें जो रेलवे पुलिस के कर्मचारी और रेलवे के अधिकारी हैं उनका हिस्सा उनके पास पहुंचता है। ये लोग सारे रेलवे स्टेशनों के आसपास बसे रहते हैं। यह काम उनका नियमित रूप से है। वे किसी की जेब काट लेंगे, रेल के डिब्बों से सामान चोर लेंगे। पुलिस में उसकी रिपोर्ट करने पर कुछ भी नहीं होता। यह काम पुलिस की जानकारी में होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इन सब बातों की तरफ ध्यान दिया जाय। अभी एक घटना हो गई ग्वालियर में। जून के प्रथम सप्ताह में जी० टी० एक्सप्रेस में एक विधायक को टिकट तो मिल गया लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिला। जगह नहीं मिली तो गाड़ी रोक दी गई, वैक्यूम निकाल दिया गया और कहा गया कि हम रेलवे राज्य मंत्री के आदमी हैं। गाड़ी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक उनको जगह नहीं मिलेगी। आधा घंटे जी० टी० एक्सप्रेस ग्वालियर स्टेशन पर रुकी रही मुझे पता नहीं कि वे रेल मंत्री के आदमी थे या नहीं। लेकिन रेलवे का वह कन्डक्टर,

[श्री प्यारेलाल खंडेलवाल]

जो कि एक बुजुर्ग आदमी था वह खड़ा खड़ा कांपता रहा। 20–25 लोगों का हुजूम था। जगह उसके पास थी नही। अगर इस प्रकार से प्रभावशाली लोग रेलवे अधिकारियों को डरायेंगे, धमकायेंगे और अगर उनको सचमुच में प्रभावी व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त है, तो रेलों की सुरक्षा, रेल यात्रियों की सुरक्षा कैसे होगी? मैं इस बारे में रेलमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे रेलवे अधिकारियों को इस बात का स्पष्ट आदेश दें कि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, रेलवे की सुरक्षा के बारे में, रेलवे के संचालन के बारे में वे किसी के प्रभाव में न आयें।

महोदया, जैसा मैंने कहा है कि पिछले चार वर्षों मे रेलों में भारी चोरिया हुई हैं और इनको रेलवे विभाग पूरी तरह से पकड़ नही पाया है। ये चोरियां दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर रेलों में 400 करोड़ रुपये की चोरी होती है और सुरक्षा दल पर 58–59 करोड़ रुपये प्रति वर्ष आप खर्च करते हैं तो अगर इसकी रोकथाम के लिए इस बल की संख्या क्यों नही बढ़ाते? कुछ दिन पहले रेल राज्य मंत्री ने घोषणा की थी कि 10 हजार सुरक्षा कर्मचारी और बढ़ा दिये जायेंगे, लेकिन बाद में कहा गया कि अब नहीं करेंगे क्योंकि पैसा नही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देने से यात्रियों की सुरक्षा होती हो, उनके जानमाल की सुरक्षा होती हो तो आप उनकी संख्या जरूर बढ़ाइये। एक तरफ आप 58 करोड रुपये खर्च करते है और दूसरी तरफ सौ करोड़ रुपये प्रति वर्ष की चोरी होती है, पिछले चार वर्षो मे चार सौ करोड़ रुपये की चोरी हुई तो एक साल में सौ करोड़ रुपये हुई। तो अगर आप इस बल पर कुछ और खर्च करके यात्रियों के जान-माल की सुरक्षा और उनको संरक्षण दे सकते हैं, जिससे राहत यात्रियों को मिले तो यह अवश्य होना चाहिए। यह मेरा सुझाव है और इन सब बातों पर माननीय मंत्री जी विचार करें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि रेलवे के कई डिवीजन बहुत बड़े बड़े है और उनके बड़े के कारण उनकी व्यवस्था करने में कठिनाई पैदा होती है। इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है और रेलवे डिवीजनों को छोटा करके, प्रशासनिक दृष्टि से उनकी व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। महोदया, सारे देश में नेरोगेज बहुत कम बचा है और इस नैरोगेज का सबसे प्रमुख केन्द्र मध्य प्रदेश में नेनपुर है। लेकिन नैरोगेज का डिवीजनल हैडक्वाटर जो पहले यहां था उसको नागपुर में शिफ्ट कर दिया गया है जब कि नैरोगेज का नागपुर से कोई संबंध नही है। उस क्षेत्र में कुछ किलोमीटर ही नैरोगेज है। नैनपुर नैरोगेज का सबसे अधिक बड़ा केन्द्र है, यहां नैरोगंज लाइन सबसे ज्यादा है और यह सारा उसी इलाके में है जो नैनपुर केन्द्र में पड़ता है। मैं मंत्री महोदय को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि दो साल पहले वहां एक एक्सीडेन्ट हुआ था, तो तत्कालीन रेल मंत्री श्री अब्दुल गनी खां चौधरी जब वहां पर गये थे तो उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि नैनपुर को नैरोगेज का डिवीजनल सेन्टर बनाया जायेगा। लेकिन ... (**व्यवधान**) मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। आप जरा सुनते जाइये काहे को उतावले हो रहे है। अभी तक नयनपुर को डिवीजनल सेंटर घोषित नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं उन्होने मुझे उस मामले में एक पत्र भेजा है कि उस पर नीतिगत रूप से निर्णय ले लिया है लेकिन उस एरिया में मुकदमें चल रहे हैं। रेल मन्त्री के आश्वासन पर डिवीजनल सेंटर वहां जाना था। जब डिवीजनल सेंटर वहां नही गया तो लोगों ने, जनता ने आन्दोलन किया इसलिए वहां पर कुछ लोगों के ऊपर मुकदमें चल रहे हैं। क्योंकि रेल मंत्री जी की घोषणा के बाद भी जब डिवीजनल सेंटर नहीं खोला गया तो वहां की जनता

ने आन्दोलन किया है इसलिए उनके विरुद्ध जो केसेज हैं उनको वापिस लिया जाना चाहिए है। मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं और यह जो धारा 13 आपने बनाई है इसको वापिस ले यह मैं मांग करता हूं।

SHRIMATI MONIKA DAS : Madam Vice-Chairman, I rise to support the Bill. The Railway Protection Force Act, 1957, after 28 years, is proposed to be amended by the Government. It is a welcome step. This Bill should have been brought long back. Though it is late, I am very glad that the hon. Minister has introduced such an important Bill which will definitely bring down corruption in the Indian Railways.

Madam, the Indin a Railways being one of the biggest economic department in the world the life of the nation in transportation, both of passengers and of essential co modities, is dependent on it, with mooo wagons and more than 9 35,ion passengers travelling daily. Smill is necessary that we should ho, itan uninterrupted and secure movement of the goods including the evemeal commodities and passangerssentie-railways are of vital, national. strate gies importance. Madam, the rail ways play a very important, cruciat role not only in the economic industrial growth but also in the security and defence of the country.

Madam, the strength of the Railway Protection Force is 67,000 including the eight battalions of the Railway Protection Special Force. And the Dog Squads are also maintained in all the zonal railways for patrolling the yards and tracking down criminals. The Force is responsible for protection and safety of the consignments, goods with the Railways and also the Railways own material and other things. It also keeps watch on the movement of criminals and conducts raids for recovery of stolen property and arrest of criminals. In this regard, I would like to say that during the last 28 years there has no been a little bit of improvement. In every way, in every theft, criminal activities, officials right from the RPF to the YPs, that is, Yard Porters, the SMs, the ASMs, all are involved. We have seen, Madam, wherever thefts are taking place, full gangs are operating. During the last 28 years more or less they are definitely operating very much more. Now really we are so happy that the Government has taken so many steps. Really this is most essential. If you really want to bring down curruption in the Railways, we have to see that the RPF should be made an armed Force of the Union to make it more efficient and effective. I hope that this Bill will also stop bring down and stop organised corruption. There is a big organised corruption, Madam. The criminals and offenders have a nexus with the authorities.

Under clause 13, a restriction has been proposed on the right to form association on the lines of similar restriction in other armed forces of the Union. It is an important and welcome step. It will stop pressures and nepotism from political groups and vested interests in politics at various levels and make the Force a more effective and efficient organisation.

Again, on the other side, the members of the Force, especially in the lower cadre, who are directly responsible for carrying on the work of the Railways for protection of the Railway property and for safety of the passengers.

In 1979, when Janata Party came into power, at that time, we had seen a big agitation in the Railways and with that, the administrative efficiency of the Railways had gone down considerably. That was a big agitation organized by the trade unions and mazdoor union. There were many unions.

[Shrimati Monika Das]

Now, I would request the Honourable Minister that if you want to bring efficiency, then additional powers should be given to the R.P.F. At the moment, they do not have any power. The only power with them is to catch the people when they see that people are stealing something, they have got that catching power. So, we should give them more powers. I request the Hon'ble Minister that superior officers should get more power in the Rilways so that they show their efficiency in the discharge of their duties in the R.P.F. Now, Madam, in the Railways, the medical wing is one of the most important and efficient wings. I can tell you, Madam, even in small stations in the Railways, doctors are well qualified and this medical wing is an independent wing and they are doing such a tremendous work that I can challenge even that our central hospitals and in big hospitals which are famous for their name and fame, would not have been doing such an excellent work. The Railways has got that separate body *i.e.*, medical wing. In the same way, you should give separate power, independent power to RPF. At the same time, if RPF personnel are not enough in number, you can increase their number keeping in view the size of the Railways and the number of employees in the Railways. Whenever we happen to approach these RPF personnel, they say, we do not have any power, So, I would request that senior officers should get more powers. All the R.P.F. personnel are not bad. Some of them have done commendable work but despite that, they have not been awarded suitably. I would request that they must get some rewards.

Then, Madam, if you want to bring down corruption, thefts and other things which are going on in tne Railways, definitely, we have to given more power and importance to the RPF and the subject we are discussing today will serve no useful purpose in the absence of these powers. If you feel that GRP and RPF put togetner could work better, you can merge them and vest them with more powers. The honest and hardworking officers doing commendable job should be rewarded accordingly. At the present moment, this is not the case. With these few words, I support the Bill and hope that the Hono'ble Railway Minister, who is known far his efficiency will pay heed to what I have said. Thank you.

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदया यह रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के सबंध में कानून जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया 1957 में बना था। काफी दिन हो गये। हमें यह देखना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर जो रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स को जिम्मेदारियां दी गई थीं उन जिम्मेदारियों को उसने कहां तक निभाया है ?

देखने से लगता यह है कि रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स को जितनी भी जिम्मेवारियों दी गई थीं उनमें से किसी भी जिम्मेवारी को इसने मुस्तैदी से पालन नहीं किया है। चाहे वह चोरी का मामला हो, या चेन पुलिंग के रोकने का मामला हो, या रेल में चलने वाले यात्रियों के सामान की रक्षा का प्रश्न हो, किसी भी दृष्टि से अगर देखा जाए, तो रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स पूरे रूप में असफल रही हैं।

मेरे पास कुछ आंकड़े हैं रेलवे सम्पत्ति की चोरी के, उस से यह लगता है कि रेलवे सम्पत्ति की चोरी रोज़-ब-रोज़ बढ़ती जा रही है 1979-80 में 92.79 करोड़ रुपये की चोरी हुई थी, जो 1980-81 में बढ़कर 150 करोड़ रुपये हो गई और 1983-84 में 174 करोड़ की चोरी हुई है। यह बातें...

एक माननीय सदस्य : यह आंकड़े गलत हैं।

श्री सूरज प्रसाद : आंकड़े ठीक कर लीजिए, मंत्री जी यहां पर हैं।

इसलिए यह सब बातें बताती हैं कि रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के बाद भी रेलवे

सम्पत्ति की चोरी रोज-ब-रोज बढ़ती चली जा रही है और अगर यह सम्पत्ति की चोरियां रेलवे के अन्दर हुई हैं तो सरकार को इस सम्पत्ति की चोरी पर भारी मुआवजा भी देना पड़ता है और यह सरकार पर एक दुबारा बोझ बढ़ जाता है।

इसलिए यह बात बिलकुल साफ नजर आती है कि रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स चोरी रोकने में असमर्थ है और इतना ही नहीं, रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के द्वारा पाकेट-मारों का संगठन किया जाता है और रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। ऐसी स्थिति में इस रेलवे प्रोटक्शन फोर्स को अधिक पावर दी गई है जैसा कि बिल के अन्दर प्रावधान है। तो उससे उस अधिकार का दुरुपयोग होने की अधिक सम्भावना है बनिस्बत उसके सही इस्तेमाल के। इस बिल के अन्दर यह प्रावधान किया गया है कि रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के लोग अब बिना वारंट के भी लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। वारंट के साथ भी गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर बहुत से लोग आते जाते रहते हैं रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स कोई दूध के धोए लोग नहीं हैं। इनमें काफी करप्शन है, पैसे कमाने की एक खास आदत उनमें है और इसलिए इस शक्ति का वह दुरुपयोग कर सकते हैं, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं, ऐसे पैसा ऐंठ सकते हैं और इस प्रकार से अपनी जेब गर्म कर सकते हैं। इसलिए इस शक्ति को उनके हाथों में देकर सरकार कोई भला काम नहीं कर रही है। लगता यह है कि हाल के दिनों में सरकार तमाम इस तरह के फोर्स को अधिक से अधिक पावर देकर लोगों को अधिक हैरास करने की शक्ति इन्हें प्रदान करती जा रही है, जिनका दुरुपयोग होना अनिवार्य सा है।

दूसरी बात मैं इस संबंध में जो कहना चाहता हूं, वह यह है कि रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स बिल के अंदर धारा 13 के अन्दर जो सरकार ने प्रावधान किया है, रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स सदस्यों का जो ट्रेड यूनियन राइट है, उसको अपहरण करने का... सरकार में काम करने वाले जो लोग हैं उनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं अपने हकों की रक्षा के बारे में, अपनी मांगों को रखने के बारे में, अपने ग्रीवान्सेज के निराकरण के लिये बातें करने के बारे में। लगता यह है कि सरकार उनके हकों को छीन कर उनके हाथ-पैर को बांधकर उनको बिलकुल मूक बना देना चाहती है। इसलिए इस तरह का हक जो उनको होना चाहिए उसका अपहरण करके सरकार बुनियादी अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है, इसलिए इस तरह के प्रावधान का मैं विरोध करता हूं।

एक और तरह का प्रावधान इस बिल के अन्दर है और वह यह है कि रेलवे फोर्स के सदस्यों को उनके उच्च अधिकारी गिरफ्तार कर सकते है। गिरफ्तार करने का कारण क्या होगा? अगर वह अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते जो जिम्मेदारी दी गई है उसका उल्लंघन करते हैं तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारी उनको गिरफ्तार कर सकते हैं और यह भी प्रावधान किया गया है कि उन्हें एक वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो अधिकारी हैं उनके बारे में यह बात देखी जाती है कि नीचे के जो साधारण कर्मचारी हैं उनको वे बंधुआ मजदूर समझते हैं और उनका इस्तेमाल मजदूर जैसा करते हैं। अगर कि ी ने उनके हुक्म का पालन नहीं किया, उनके घरों का काम नहीं किया, उनकी पत्नी की बात नहीं मानी, कोई बाजार का सौदा नहीं लाए तो वे दंड के भागी बन जाते हैं। इस तरह की पावर देकर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारियों के हाथ में शोषण का बहुत बड़ा हथियार दे दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। सही माने में कहा जाय तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे लूट फोर्स है। रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स के हाथ में इतनी पावर देना बन्दर के हाथ में तलवार देने के समान है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरह के बिल का हम लोगों के द्वारा समर्थन असम्भव है। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, आदरणीय रेल मंत्री जी जो यह बिल लाए हैं मैं उसका समर्थन करता हूं। रेलवे जो देश की लाइफ लाइन है और हिन्दुस्तान के पूरे आर्थिक जीवन को गति देने वाला विभाग है इसमें पिछले आठ-नौ महीनों से रेल मंत्री जी काम कर रहे हैं। इस पार्लियामेंट के दोनों कक्षों के लोग कह रहे हैं कि रेल मंत्री जी बड़े योग्य है और रेलवे को एक सही दिशा देंगे। वे जो बिल लाए हैं वे रेलवे की समस्याओं और देश के अन्दर जो चीजें हो रही हैं उनको मद्देनजर रखते हुए लाए होंगे।

रेलवे सारे राष्ट्र के जीवन से संबंधित है। जो सीमेंट के कारखाने हैं, फर्टिलाइजर के कारखाने हैं, लोहे की खदाने हैं, जो हिन्दुस्तान के इंडस्ट्रियल जीवन को गति प्रदान करने वाले उपक्रम हैं, रेलवे उनके सारे माल को ढोने का काम करती है।

तो इस रेलवे में जो चोरी हो रही है उस को कैसे रोका जाये। जब बी.एस. एफ० का निर्माण हुआ था तो उस समय चीन का हमला हुआ था और आज बी०एस० एफ० की क्षमता और उस की योग्यता और उस की कापिसिटी को सभी एडमिट करते हैं। तो आज के इस नए परिप्रेक्ष्य में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को जो एक एक नई पावर के साथ बनाने की कोशिश की गई है यह एक सराहनीय कदम है और इस से रेलवे विभाग में चोरी रुकेगी। यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती कि उन को ट्रेड यूनियन का अधिकार भी दिया जाये और उस को हुल्लड़बाजी का अधिकार भी रहे और उन से अच्छा काम भी लिया जाये। मैं रेलवे मंत्री जी से मिला था। सूरज प्रसाद जी जो बोले हैं वे बिहार से आते हैं और वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मुगलसराय में करोड़ों रुपयों के माल की रोज चोरी होती है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप स्टेशन पर खड़े रहिए और आप देखेंगे कि वे डिब्बा काट कर चोरी कर रहे है और अधिकारी भी वहां खड़े है और पुलिस वाले भी वहीं खड़े हैं। वहां लगातार 24 सौ घंटे चोरी होती है। आखिर इस तरह की चोरियों को रोकने के लिए अगर कोई कारगर कदम नहीं उठाया जायगा तो रेलवे में चोरी बंद कैसे होगी। आर०पी०एफ० के लिए जैसे मिलिटरी की ट्रेनिंग होती है वैसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और हमारे ऐक्ट में प्रावधान होना चाहिए कि आर०पी०एफ० के जो लोग चोरी के मामलों में पकड़े जायें उन का डिस्मिसल किया जाना चाहिए। अगर 50, 60 लोग इस प्रकार से डिस्मिस हो जायेंगे तो इस तरह की चोरियां बंद हो जायेंगी। इस लिए आदरणीय मंत्री जी द्वारा लाये गये इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। आप को पूरे रेलवे विभाग को सम्हालना है क्योंकि यह विभाग राष्ट्र के जीवन से संबंधित है।

आपके विभाग में भटनी से बनारस तक की लाइन को बड़ी लाइन बनाने का काम चल रहा है। इस का प्रस्ताव बजट में सरकार ने स्वीकार किया और 42 करोड़ रुपये की इस की लागत है। हर साल 3, चार, डेढ़ करोड़ रुपया आप इस के लिये देते हैं और इस पर दस करोड़ रुपया अब तक खर्च हुआ है। लेकिन जो सामान इस को बनाने के लिये आता है उसमें भी चोरी होती है। जो थोड़ा बहुत रुपया खर्च होता है उसमें भी लगातार चोरी होती है। तो रेलवे विभाग द्वारा इस चोरी को रोकने के लिये उस के पुलिस बल को और अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए जो यह बिल आया है यह उचित ही है और इस लिये मैं इस का समर्थन करता हूं। इस चोरी में अगर रेलवे विभाग के कर्मचारी शामिल न हों तो यह चोरी हो ही नहीं सकती। रेलवे विभाग के लोग चोरी कराते हैं और चोरी करते हैं और वे इन चोरों से मिले हुए हैं। इस लिये मेरा निवेदन है कि ..

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : कुछ लोग ऐसे होंगे, सब नहीं।

श्री कल्पनाथ राय : सब को मैं नहीं कह रहा हूं। रेलवे विभाग के कुछ लोग मिले हुए हैं, मैं सब को नहीं कहता। आप बिहार के रहने वाले हैं और इस लिये आप जानते हैं कि बिहार की स्थिति तो यह

है कि बिहार में कोई भी गाड़ी चल रही हो उस में वहां के लिए तो कोई फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है ही नहीं। एक बार मैं मुगलसराय से सासाराम जा रहा था तो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में एक आदमी अपनी गाय ले कर चढ़ गया और उस के साथ बीस लोग और आ गये। मैं तो डर के मारे बोला नहीं कि क्यों चढ़ गई।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आपको देखकर ऐसा किया होगा।... (**व्यवधान**)

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : आप डर गए, आश्चर्य की बात है।... (**व्यवधान**)

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आप समस्तीपुर से दरभंगा जाइए, प्रथम श्रेणी है ही नहीं। हुक्मदेव नारायण यादव उसी इलाके के रहने वाले हैं। न वहां उन डिब्बों में गद्दा है, न पंखा है। तो यह सारी सम्पत्ति जो राष्ट्रीय सम्पत्ति है उसकी लूट होती है। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। जो भी अपराध करे उसको कड़े से कड़े दण्ड दिया जाना चाहिए। आज दुनिया के किसी भी देश में रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे यहां उनकी संख्या काफी है। यहां उनके लिए ऐसा इंतजाम है कि टिकट कलैक्टर या टिकट चैकर बिना टिकट वालों की जांच करता है, लेकिन उनकी जांच करने के लिए दूसरा विभाग बना हुआ है। एक के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दूसरी ऐजेंसी बनी हुई है और वह खुद भ्रष्टाचार करती है। टिकट कलैक्टर खुद भ्रष्ट हैं। आपके आने के बाद कुछ उनमें दहशत हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय बंसीलाल जी की देखरेख में इस मुल्क में रेलवे में जो चोरी होती है वह रुकेगी और जो बिना टिकट यात्रा करने वाले हैं, वे कम होंगे।

महोदया, इंगलैंड में या कई दुनिया के देशों में बिना टिकट यात्रा करने वाले नहीं मिलेंगे। वहां टिकट डाला तो गेट खुल गया, तो फिर वहां चोरी नहीं होती। आजाद हिन्दुस्तान के किसी भी नागरिक का धर्म यह होना चाहिए कि इस चोरी को रोका जाये और लोगों को ईमानदारी से जीने का हक मिल सके। आज जितनी भी ऐजेंसियां रेलवे की चोरी को खत्म करने के लिए हैं, टिकट लैस ट्रैवलिंग को बंद करने के लिए हैं, वे खुद भ्रष्ट हैं। रेलवे में हर जगह भ्रष्टाचार है जिसे रोकना आवश्यक है।

महोदया, आज हमारे यहां 90 लाख लोग जिस रेलवे के माध्यम से चलते हैं, अगर आप उनके भोजन की व्यवस्था देखेंगी तो आपको आश्चर्य होगा कि उसमें किस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट, कांट्रेक्टर्स और बेईमान ठेके वाले लोग हैं जो कि रेलवे के सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कैटरिंग कारपोरेशन इसके लिये बनाये और लाखों लोग जो बेकार हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण दें, उनके द्वारा खाने पीने का प्रबन्ध कर इस चोरी को रोकने का प्रयास करें। जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं है, जो काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और काश्मीर से अहमदाबाद तक जाती है, जैसे गेहूं, चीनी, फल आदि, उनकी ढुलाई ठीक से हो सके, समय से माल आये और समय से जाए, इसमें कोई बोल्टनैक्स न हों। इसके लिए आपको एक स्ट्रांग पुलिस फोर्स की आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि आप अपने अनुभवों के आधार पर इस बिल को लायें हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप इस फोर्स को बी०एस०एफ० की तरह से बनायेंगे और इसका इस्तेमाल पूरे देश में से भ्रष्टाचार को और चोरी को समाप्त करने के लिए करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा लाए गए इस विधेयक का समर्थन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जैसे आपने हरियाणा का निर्माण करके पूरे हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय रंगमंच पर यह साबित कर दिया कि किसी प्रदेश का निर्माण कैसे होना है, उसी तरह से आप पूरे हिन्दुस्तान की रेलवे को दुरुस्त करके इसकी सेफ्टी, पंक्चुएलिटी को और इसकी सर्विस को ठीक करेंगे ताकि अन्य विभाग

[श्री जगन्नाथ राय]

भी इसका अनुसरण कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

THE VICECHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): Shri S.P. Malaviya—Not here Shri Radhakrishna.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA (Andhra Pradesh): Madam Vice-Chairman, this Bill seeks to enhance the power of the R.P.F. and to provide more security. We have no objection if more security is provided and we will be glad about it. But it seems to me that with the existing powers or with the amended powers or with some additional powers, this Railway Protection Force cannot provide any further security and they cannot provide even the normal security because the R.P.F cannot arrest the offenders. They cannot prosecute them and cannot detect the crime. First of all, to provide security to the life and property of the passengers is not the job of the R.P.F. There is a parallel organisation known as G.R.P. This is under the State administration. Fifty per cent of the expenditure of the G.R.P. is borne by the Railways, but they have no control over the administration of the G.R.P. There is no coordination between the R.P.F. and the G.R.P. Also there is no coordination between the Railway authorities and the G.R.P. That is why, nothing can be done is because providing security to the passengers and to their property is in the hands of G.R.P. which is not controlled by the Railways. The R.P.F. is meant only to protect the railway property. First of all, there must be a unified organisation and there must be coordination between these organisations. Unless and until there is coordination between these different forces, they can not provide effective security.

The Railway Protection Force is neither a civilian force nor it is a military force. There is a confusion. It should be reformed right from the recruitment stage. Several members have spoken about it and I need not explain it.

Regarding security to the passengers and to their property, there are many loopholes in the administration as well in the law. G.R.P. is meant to protect the life and property of the passengers. The G. R. P. stations are scattered. Sometimes, a complainant has to travel, 100 kilometers to lodge a complaint with the Police because the offence has been committed very far away from the Police Station and they can not effectively investigate the crime. The crime is to be prevented. If it is not prevented, they have to go in for detection. Both are necessary. Sometimes, the miscreants trouble the passengers. Some nefarious persons enter the trains and sell articles. They create nuisance and problems between passengers and passengers and between miscreants and passengers. They also sell foodstuffs which are injurious to the health of the passengers. That is also a troublesome problem. It should be stopped.

There is also the menace of beggars. These beggars create nuisance at the station and create problems. They confuse the passengers so that they may miss their articles. They create some trouble between passengers and between passengers and beggars. This is also a serious matter.

I request the hon. Minister to consider the question of coordination between the R.P.F. and the G.R.P. and also the possibility of getting G.R.P. under the control of the Railway authorities. The Railway Authorities are blamed for everything, but they cannot control the G.R.P. These issues must be examined by the Railway Minister. He may act in his own way to get the difficulties removed. If the Bill is meant to enhance the powers of the R.P.F for providing security, I have no objection and hence I conclude.

श्री आनंद प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं रेल संरक्षण बल संशोधन विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। रेल देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संस्थान सार्वजनिक क्षेत्र में है। इसका व्यापारिक संस्थान होने का ही महत्व नहीं है बल्कि रेलों का देश के सामान्य जन की सुरक्षा और देश की रक्षा के हित में भी बहुत बड़ा महत्व है। अभी इस संबंध में तमाम चर्चाएं आई यह कहा गया है कि रेलों म चोरियां होती है, रेलों में डकैतियां होती हैं, रेलों की सम्पत्ति की क्षति पहुंचाई जाती है जिससे देश की क्षति होती है, राष्ट्र को नुकसान पहुंचता है। यात्रियों की जान-माल की क्षति के उदाहरण भी चर्चा में आए। इन सब चीजों को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल का महत्व अपनी जगह पर बहुत अधिक हो जाता है। अभी जो रेलवे सुरक्षा दल काम कर रहा है वह लगभग 28 वर्ष पुराने अधिनियम के आधार पर काम कर रहा है। सन् 1957 में रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत इस संगठन का गठन किजा गया था। निश्चय ही इतनी बड़ी लम्बी अवधि में समय में परिवर्तन के साथ नई चुनौतियों को देखते हुए उसमें कुछ मूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। हमारे सुयोग्य रेल मंत्री जी ने समय की मांग को देखते हुए, आवश्यकता को समझते हुए और रेलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करते हुए मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। इस बिल के माध्यम से रेलवे में जो सुरक्षा बल है उसके सदस्यों को अधिक अधिकार दिये जाने की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि उनको रेलवे कर्मचारी होने के साथ-साथ जो फोर्स का दर्जा दिया गया है, निश्चय ही यह उनके सम्मान की बात है और वे इससे सम्मानित होंगे। रोजमर्रा के जीवन में और समाज में हम यह देखते हैं कि कोई भी जो सशस्त्र फोर्स के लोग हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेज के लोग हैं या देश की सुरक्षा में लगे हुई फोर्सेज हैं उनको हमारे समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उनका समाज में सम्मान होता है। मैं समझता हूं कि इन लोगों को फोर्स का दर्जा देने के साथ उनका रेलवे कर्मचारी होने का अस्तित्व भी बनाये रखा गया है, यह उनके लिए सम्मान की बात है और इस प्रकार से उनको दोहरा सम्मान दिया गया है। इस दोहरे सम्मान में उनका मनोबल ऊंचा होगा। जब उनका मनोबल ऊंचा होगा तो उनमें नई शक्ति का संचार होगा। उनको इस बिल के माध्यम से नये अधिकार दिये गये हैं। निश्चित ही इससे रेलों में होने वाले अपराधों में कमी होगी और ये लोग अपराधों को समाप्त करने में सहायक सिद्ध होंगे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो यह बिल प्रस्तुत किया है, वह बड़ा सामयिक है और वर्तमान चुनौतियों में आवश्यक है। जहां इस बिल में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, रेलों में सुधार लाने के लिए और इस फोर्स को नये सिरे से संगठित करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है वहां मैं आपसे विनम्र निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि इस फोर्स में काम करने वाले कर्मचारियों की दैनिक जीवन की सुविधाओं में सुधार किया जाय ताकि उनके अन्दर किसी प्रकार से भी भ्रष्टाचार अंकुरित न होने पाये। अगर आप उनकी सेवाओं में और उनकी सुविधाओं में सुधार करेंगे तो हम उनमें पनपने वाले भ्रष्टाचार की आशंका से भी बच सकते हैं। इससे उनका मनोबल भी ऊंचा होगा। वे देश भक्ति की भावना से आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि उनके दैनिक जीवन की सुविधाओं को बढ़ाया जाय।

महोदया, एक बात हमारे विपक्ष के साथियों ने बड़े जोरों से उठाई कि प्रस्तुत संशोधन विधेयक की धारा 13 में जो एक प्रावधान किया गया है कि फोर्स के अन्दर के सदस्यों को किसी एसोसिएशन, किसी संघ के सदस्य होने पर प्रतिबन्ध होगा और विपक्ष के साथियों की तरफ से यह कहा गया है कि इससे जो उनके प्रजातांत्रिक अधिकार हैं, उनका हनन हो रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि किसी भी विभाग में, जो हमारा पिछला अनुभव है, कोई भी यूनियन, कोई भी सोसिएशन

[श्री आनन्द प्रकाश गौतम]

ऐसी नहीं है जो राजनीति से प्रभावित न हो और राजनीति में लोग उसका किस प्रकार से दुरुपयोग करते है, अपने हित में उसका दुरुपयोग करते हैं और राष्ट्रीय हित के विपरीत इसका प्रयोग किया जाता है। यह मेरे कहने की बात नहीं है इसका आप स्वयं आभास कर सकते है, अनुभव कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन विगत पिछले वर्षों में आपको स्वयं अनुभव हुआ होगा कि हमारे देश के कई मूर्धन्य नेताओं के फोर्स के साथियों को भी राष्ट्र के खिलाफ भड़काने की योजना बनाई थी। तो क्या आप समझते हैं कि यदि यूनियन और संघ बनाने का अधिकार फोर्स के लोगों को दे दिया जाये तो क्या इसके दुरुपयोग से वे वंचित रह सकते हैं? मेरा अपना विचार है कि निश्चित ही इसका दुरुपयोग होगा। मेरे विचार से इस फोर्स के लोगों का उनमें राष्ट्र के प्रति जो सद्भावना है और उनमें जो कर्त्तव्य निष्ठा है उसको सुदृढ़ रखने के लिये और उस कर्त्तव्य-निष्ठा के प्रति उनका ध्यान एकाग्र करने के लिये यह आवश्यक है कि उनका ध्यान उनके निजी हितों की ओर लड़ने के लिये न बढ़ाया जाये बल्कि उनके निजी हितों को देखने के लिये, उनको सुविधायें देने के लिये मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य रेल मंत्री स्वयं जागरूक हैं और वे समय-समय पर उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधाओं को बढ़ाते रहेंगे।

महोदया, रेल मंत्री जी जो यह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं यह बड़ा ही उपयोगी है और यह रेलवे सुरक्षा में पूर्ण रूप से सहयोगी है और इसमें निश्चित ही अपराधों में कमी आयेगी जहां हम और आप मिलकर यह सोचते हैं कि यह इतना बड़ा प्रतिष्ठान है और इसमें यात्रियों के सामान की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है, उनमें यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा और उनके जान-माल की रक्षा अत्यन्त अति आवश्यक है, उसके लिये यह जरूरी है कि रेलवे फोर्स के लोगों को, रेलवे सुरक्षा बल के लोगों से हमें सुरक्षा मिले और हम उनसे सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं। मान्यवर, जो हम रेल यात्रियों के लिये हर प्रकार की सुविधा की अपेक्षा रेलवे बल के साथियों से करते है हम आशा करते हैं यह हमें प्राप्त होगी। मान्यवर, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि रेल यात्री जो साधारण डिब्बों में चलते हैं उनकी सुरक्षा के साथ ही उनके लिय एक और आवश्यक कार्य बाकी है जिसके लिये मैंने पिछले सत्र में भी आपसे निवेदन किया था कि उन्हें पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। जो पानी रेल के डिब्बों में उपलब्ध है, मैं समझता हूं कि जो ये टंकियां भरी रहती हैं उन्हें जो रेल की छतों के ऊपर चलने वाले लोग हैं वे उसको दूषित कर देते हैं, इसलिये उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक सुरक्षित टंकी हर डिब्बे में लगाने की व्यवस्था करें।

महोदया, मैं समझता हूं कि जो आपने केन्द्र सरकार के अधीन यह रेलवे सुरक्षा बल बनाया है इसमें जो रेलवे सुरक्षा के दूसरे विभाग हैं, चाहे वह जी०आर०पी० है, वाच एंड वार्ड है, उनको भी यदि एक ही फोर्स के अन्दर, एक ही यूनिट के अन्दर शामिल कर दिया जावे तो निश्चय ही उनमें जो हीनता की भावना है वह दूर हो जायेगी और वे अपने कर्त्तव्य में अधिक योगदान कर सकेंगे और अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से पूरा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेलवे मंत्री महोदय को बधाई देते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT (Jammu and Kashmir): Madam, Vice-Chairman the Bill before the House seeks to amend the RPF Act, 1957. This has been brought forward to enhance the powers of the RPF. Several Members have described this Bill as significant. But its significance will be judged only if the property of the passengers travelling in the trains as well as the railway property are protected and there is safety for everybody. If not, this Bill will not have any significance. Madam, there was a time when passengers travelling in trains from Calcutta to

Punjab were able to travel fearlessly. Women wearing ornaments weighing up to hundred tolas were able to travel fearlessly. But today, the situation is such that a women wearing ornaments weighing up to even 50 gms. will not be able to travel, will be afraid to travel. Women cannot travel fearlessly in the trains nowadays. There are pickpockets. I will not mention them. But there are also dacoits and thieves. There are murderers. Many crimes are committed on the trains but the culprits are not apprehended. Only a few are apprehended, not all. There is *no dearth of dacoits and murderers.* We have been receiving reports. If the powers have been increased so that the force becomes efficient and is able to check the crimes effectively, it is all good. Otherwise, there will be no use of passing this Bill. I would urge the hon. Minister to see that the provisions of this Bill are implemented in letter and spirit and the force becomes efficient to deal with the crimes and to protect the property of the passengers as well as the railway property.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE): Shri Mahendra Mohan Mishra. Not here. Shri Sukhdev Prasad.

श्री सुखदेव प्रसाद (उत्तर प्रदेश) मैडम उपसभाध्यक्ष जी, मैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (अमेंडमेंट) बिल के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने अपने साथियों के विचारों को सुना और उससे अपने को सम्बद्ध न करते हुए, एक बात के लिए मैं जरूर कहूंगा, वह यह कि कुछ कमियां रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में हैं जिनकी ओर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं। मैं बहुत सारी बातों की ओर नहीं जाना चाहता, केवल एक सजैशन देना चाहता हूं कि आपके पास रेलवे की सुरक्षा के लिए दो फोर्स हैं, एक तो आर०पी०एफ० है और दूसरी जी०आर०पी० है। जी०आर०पी० पर आपके आर०पी० एफ० का कोई कन्ट्रोल नहीं है। इस तरह से यह ड्यूल पालिसी जो है-वह रेलवे को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। मेरा सुझाव है कि आप जी०आर०पी को कतई अपने विभाग से अलग करिए और आर०पी०एफ० मे जहां तक हो सके उसकी भर्ती करके और उसे मजबूत करके जितने भी करप्शन होते हैं उसकी जिम्मेदारी उसके सिर पर डालिए। एक फोर्स के सिर पर डालिये। वह उसकी जिम्मेदारी को निभायेगा और फिर देखिये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इस कमी को दूर करता है कि नहीं।

आज जितने भी आपके जी०आर०पी० के लोग आते हैं, वह ज्यादातर प्रान्तीय पुलिस से आते हैं और शायद वह अपनी जिम्मेदारी को उतनी खूबी से नहीं निभ पाते जिस खूबी से उनको निभानी चाहिए और इसी तरीके से दूसरे के सिर पर जिम्मेदारी डालते हुए वह अपने को अलग करते हैं और इसकी वजह से कमजोरी आपके विभाग में आती है।

जहां तक इनकी यूनियन और दूसरी चीजों का सवाल है, मैं इस बात को जरूर अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक फोर्स है, आप कृपा करके, मेहरबानी करके यह करें कि उसमें तो यूनियनबाजी को आप छोड़ दीजिए। हमारा फोर्स है, मिलिटरी है, पुलिस है, दूसरे और फोर्सेस हैं, उसी तरीके से आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, अगर उन सब को अलाऊ कर दिया जाए कि आप यूनियन बना करके चलिए, तो कोई न कोई डिमाण्ड लेकर वह किसी न किसी समय जरूर खड़े रहेंगे और एन मौके पर, जब देश को उनकी सब से बड़ी आवश्यकता होगी, तो वह कहीं न कहीं हड़ताल या दूसरी चीज में खड़े होकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं।

इसलिए यह जो बिल प्रोवाईड करता है कि इसमें किसी तरह की यूनियनबाजी नहीं होगी, मैं समझता हूं कि इसका तहे दिल से स्वागत हर किसी को करना चहिए।

एक बात और माननीय रेलवे मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चोरी डकैती या दूसरी चीजें जहां पर

[श्री सुखदेव प्रसाद]

भी हैं वह तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी तो उनके सिर पर इस कड़ाई के साथ आप लागू करिये कि जहां पर ऐसे करप्शन होते हैं, उस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में अगर होते हैं, तो उन्हें कड़े से कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था आप करें। इससे अपराधों में कुछ कमी आएगी।

एक तो हमारे साथी बार बार 21वीं सदी का जिक्र कर रहे हैं। मैं इसके बड़े डिटेल में तो नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां दुनिया आज से सैंकड़ों साल पहले हमसे आगे निकल गई है उसके मुकाबले अगर हमारा प्रधान मंत्री खड़ा होना चाहता है, जो तेजी के साथ अगर मुल्क को बढ़ाना चाहता है और 21वीं सदी की बात करता है, तो कौनसी बुराई वह करते हैं। उसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं, मुल्क को आगे ले जाने की बात करते हैं, पीछे ले जाने की बात तो हम करते नहीं, 19वीं सदी में ले जाने की बात करते नहीं, तो यह कौनसा बड़ा अपराध हो गया है जिसको लेकर इस तरह का मजाक उड़ाया जाता है।

तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें आपको हाउस में नहीं लानी चाहिएं और कम से कम हमारा मुल्क आगे बढ़, यह तो किसी एक पार्टी का मुल्क नहीं है और कल आपकी हुकूमत हो, आज हमारी हुकूमत है, किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं हैं और जरा भी मुल्क आगे बढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा और हिन्दुस्तान का नाम ऊंचा होगा। यह बातें बार बार छेड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती है।

मैं और आगे बातों को न लेकर . . .

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश): माननीय सुखदेव प्रसाद जी की बात से मैं सहमत नहीं हूं। जिन माननीय सदस्य ने 20वीं सदी का मजाक उड़ाया होगा, उन बेचारों ने वाजिब उड़ाया होगा क्योंकि वह 16वीं शताब्दी में है और वह वही रहना चाहते हैं।

श्री सुखदेव प्रसाद: खैर, मैं यह बात तो नहीं कहता, लेकिन एक मैं जरूर कहूंगा . . .

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: आखिर उन्होंने जन्म लिया है एक शताब्दी का . . . (**व्यवधान**)

श्री सुखदेव प्रसाद: लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा —इस बात को स्वीकार करेंगे . . . (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष श्रीमती कनक मुखर्जी: उनको बोलने दीजिए।

श्री सुखदेव प्रसाद: मैं इस बात के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप और दिनों की बात को छोड़ दीजिए, लेकिन जब से माननीय रेलवे मंत्री जी ने चार्ज संभाला है, मैं समझता हूं कि शायद मेजर एक्सीडेंट रेलवे में उतने नहीं हुए हैं जितने कि पहले कभी हुआ करते थे। जिस तरह के चेंजेज आज हो रहे हैं जिस खूबी के साथ यह बढ़े रहे हैं मैं इस बात के लिए उनकी तारीफ करना चाहूंगा और भविष्य में इस तरह से आगे बढ़ते रहें और रेलवे का करप्शन आप दूर करके रहेंगे।

इन्ही शब्दों के साथ मैं आपके इस बिल का समर्थन करता हूं।

---

4 P.M.

STATEMENT BY MINISTERS

I. Re. Review of Fiscal levies on Textiles

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) : Madam Vice-Chairman, as the House is aware, the Textile Policy statement of 1985 aims, *inter alia*, to increase the production of cloth of acceptable quality at reasonable rates. While cotton would